

निर्णय बर्डजलास डॉ०भारती दीक्षित आई०ए०एस० जिला कलक्टर एवं जिला  
मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राजस्थान)

मिसल न० 32 / प्रा०पत्र/22

राज०सरकार

बनाम

रियासत अली वगै०



प्रथम सूचना रिपोर्ट स० 141/2022 थाना बकानी  
जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का  
प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम  
प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 6ए वास्ते सुपुर्दगी वाहन  
संख्या UP 11 AT 9092 & UP 11 AT 8080

उपस्थित:- श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी  
सहायक निदेशक अभियोजन

-: निर्णय :-

दिनांक: 23.06.2022

प्रार्थी अशोक मिड्डा पुत्र मदन लाल मिड्डा निवासी घिलकाना रोड, जैन  
मन्दिर की गली, मदनपुरी कॉलोनी, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा प्रा०पत्र जर्ज अभिभाषक  
प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा०पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना बकानी  
द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन)  
अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 के जुर्म में प्रार्थी का UP 11 AT 9092 & UP 11 AT  
8080 जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। वाहन पुलिस  
थाना में अत्यधिक समय तक खड़ा रहने से प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी  
की सुपुर्दगी में वाहन दिया जाने पर सभी शर्तों की पालना की जावगी। वाहन को  
सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

प्रा०पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से  
सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर  
उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन संख्या UP 11 AT 9092 & UP 11 AT 8080 को  
अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी  
प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जप्त किया  
गया है। जप्त वाहन संख्या UP 11 AT 8080 में 15 मादा व 04 छोटे बच्चे कुल 19  
गोवंश व वाहन संख्या UP 11 AT 9092 में 13 मादा व 04 छोटे बच्चे कुल 17 गोवंश  
दूस दूस कर निर्दयता पूर्वक भरे होना व गोवंशों के परिवहन का अनुज्ञापत्र नहीं होना  
होना अंकन किया गया है।

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौरान बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का  
वाहन संख्या UP 11 AT 9092 & UP 11 AT 8080 को पुलिस द्वारा दिनांक: 08.05.2022  
को जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा  
6(क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी  
ट्रक का मालिक है उनके वाहन से गोवंश का सिर्फ परिवहन किया जा रहा था पशु  
दुधारू हैं प्रा०पत्र स्वीकार कर जप्त शुदा वाहन सुपुर्दगी में दिया जावे। अपने पक्ष के  
समर्थन में पशुओं के फोटो व जिला पंचायत पशु पैठ ग्राम भडल जिला बागपत के  
रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट फरोक्त मवेशी पैठ की रसीद की छाया प्रतिया व नगर निगम  
जयपुर हैरिटेज द्वारा जारी रवन्ना शुल्क की छाया प्रतिया प्रस्तुत की गई।

जिला कलक्टर  
झालावाड़

इस पर सरकार की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त ट्रक का अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार जप्त वाहन वाहन संख्या UP 11 AT 8080 में 15 मादा व 04 छोटे बच्चे कुल 19 गोवंश व वाहन संख्या UP 11 AT 9092 में 13 मादा व 04 छोटे बच्चे कुल 17 गोवंश टूस टूस कर निर्दयता पूर्वक भरे होना अंकन किया गया है। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। पुलिस केस डायरी में संलग्न प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बकानी से जारी गोवंशों के मेडिकल मुआयना रिपोर्ट में भी पशुओं में रगड के निशान होना अंकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा पशु खरीद बावत प्रस्तुत दस्तावेज व बरामद पशुओं की संख्या में भी विरोधाभास है साथ ही सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की अनुमति के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अतः गोवंशों को निर्दयापूर्वक अवैध परिवहन करने में सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टी होती है, प्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से अपने वाहन संख्या UP 11 AT 8080 में 15 मादा व 04 छोटे बच्चे कुल 19 गोवंश व वाहन संख्या UP 11 AT 9092 में 13 मादा व 04 छोटे बच्चे कुल 17 गोवंश को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 5,6,8,9 की पुष्टी करता है।

अतः विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पुलिस थाना बकानी द्वारा प्र.सू.रि.स. 141/2022 में जप्त वाहन संख्या UP 11 AT 9092 & UP 11 AT 8080 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना अकलेरा को जप्त वाहन संख्या UP 11 AT 9092 & UP 11 AT 8080 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज संबधित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जर्ज निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना बकानी को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक: 23.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० भारती दीक्षित)  
जिला कलक्टर  
छात्रावास